



बिहार विधान परिषद

212 बजट सत्र

तारांकित प्रश्न
27 फरवरी, 2026

[शिक्षा - उच्च शिक्षा - विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा - खान एवं भूतत्व
कला एवं संस्कृति - खेल].

कुल प्रश्न - 29

विसंगतियों का निराकरण

*449 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक) :
प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा संहिता में विद्यालयी स्तर पर देय "आकस्मिक अवकाश" के बीच पडने वाले "रविवार" तथा "अन्य निर्धारित अवकाशों" का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है, लेकिन ई- शिक्षा कोष में इस आशय का सुधार नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों के निमित्त देय अवकाशों की

अकारण हकमारी हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में विभागीय स्तर पर अधिसूचित निर्धारित अवकाश तालिका की अनदेखी कर अभी भी शिक्षण-प्रशिक्षण, पंजीयन, परीक्षा- प्रपत्र भराई आदि का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अवकाश अवधि में किए गए इन कार्यों के विरुद्ध शिक्षकों/कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा रहा है, जो शिक्षा संहिता के साथ-साथ श्रम कानून का भी उल्लंघन है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' एवं खंड 'ख' में वर्णित विसंगतियों का निराकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पोषण वाटिका का निर्माण

***450 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरेराज, पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग के निर्देश पर महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूलों में नामांकित बच्चों के मध्याह्न भोजन की थाली में ताजी सब्जी परोसने हेतु पोषण वाटिका का निर्माण किया जाना था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जिले के सभी प्रखंडों में यही स्थिति है और सैकड़ों विद्यालयों में पोषण वाटिका से सब्जी का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिले के सभी प्रखंडों में पोषण वाटिका का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

उच्चतर वेतनमान

***451 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या

19300, दिनांक 13.10.2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या 2872, दिनांक 16.12.2023 द्वारा राजकीयकृत परियोजना उच्च विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी गई है तथा ज्ञापांक 626/पटना, दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से उनके योगदान हेतु सूची निर्गत की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप संबंधित शिक्षकों का कैडर अराजपत्रित से राजपत्रित हो गया है, किंतु प्रोन्नति से पूर्व लेवल-09 एवं ग्रेड पे ₹5400 में कार्यरत सहायक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर योगदान के उपरांत भी वही लेवल-09 एवं ग्रेड पे ₹5400 ही दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार सरकार की सेवा नियमावली के अनुसार प्रोन्नति एवं कैडर परिवर्तन की स्थिति में प्रोन्नति की तिथि से उच्चतर वेतनमान/ग्रेड पे तथा एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देय होती है, साथ ही यह भी कि सहायक शिक्षक को 30 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर ₹6600 ग्रेड पे का प्रावधान है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नव-प्रोन्नत प्रधानाध्यापकों को प्रोन्नति की तिथि से उपयुक्त उच्चतर वेतनमान, ग्रेड पे अपग्रेडेशन एवं देय वेतन वृद्धि देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों को पदस्थापित एवं कमरा का निर्माण

***452 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के वारिसलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 17 के नेवाजगढ़ गांव स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय में कमरों की संख्या -03, बच्चों की संख्या-230 एवं शिक्षकों की संख्या-07 है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय में वर्ग एक से पांचवी तक के पढ़ाने के लिए शिक्षक 07 है लेकिन वर्ग 06 से 08 तक का शिक्षक एक भी पदस्थापित नहीं हैं, जिसके कारण वर्ग छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों का पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में उत्कृष्ट मध्य विद्यालय नेवाजगढ़ में कमरों की संख्या बढ़ाते हुए वर्ग छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु शिक्षक को पदस्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन

***453 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा के कब्राघाट में स्थित मिथिला शोध संस्थान में विगत कई वर्षों से छात्रों के नामांकन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां पर एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं हैं;

(ख) क्या यह सही है कि भारतीय ज्ञान परम्परा के संरक्षण में इस प्रतिष्ठित संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद यहां के शैक्षणिक कार्यक्रम वर्षों से ठप पड़े हुए हैं और संस्थान में करोड़ों रुपए का निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस संस्थान की 12500 पांडुलिपियों के संरक्षण, संवर्द्धन कराते हुए यहां की शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन हेतु शिक्षक, निदेशक एवं कार्यालय कर्मचारियों की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आदेश निर्गत कबतक

***454 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अध्यापक शिक्षा संस्थानों में जुलाई 2013 से लगातार 8-9 वर्षों तक नियमित सेवा करने के आधार पर कार्यानुभव को BES संवर्ग

में जोड़ते हुए विभागीय वरीयता संधारण में प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में अब तक विभाग के द्वारा कोई भी आदेश निर्गत नहीं किया गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित तथ्यों के आलोक में आदेश निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विश्वविद्यालय की स्थापना

***455 श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):**

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिले के धार्मिक महत्व को और अधिक विस्तार देते हुए इसे शैक्षणिक महत्व के साथ राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने हेतु जिलावासियों द्वारा सीतामढ़ी में 'माता जानकी विश्वविद्यालय' की स्थापना की मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि हाल ही में सीतामढ़ी में माँ जानकी मंदिर के निर्माण हेतु शिलान्यास किया जा चुका है, जिससे सीतामढ़ी का धार्मिक और पर्यटन महत्व बढ़ेगा, किन्तु विश्वविद्यालय का निर्माण होने से शैक्षणिक महत्व बढ़ने के साथ-साथ सीतामढ़ी और पड़ोसी जिलों की बहुसंख्यक आबादी उच्च शिक्षा से लाभान्वित हो सकेगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिले में माँ जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

एजेंसी पर कार्रवाई

***456 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विद्यालयों में साफ-सफाई का कार्य चयनित बाह्य

एजेंसी द्वारा कराया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, जिला कार्यालय द्वारा उन एजेंसी का निर्धारित मासिक भुगतान संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से गुणवत्ता/ संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर ही कर दिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालयों में साफ-सफाई की कमी पाये जाने की स्थिति में विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाती है जबकि उक्त एजेंसी के संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सफाई हेतु चयनित बाह्य एजेंसी का भुगतान संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक से गुणवत्ता/ संतुष्टि प्रमाण पत्र लेने के उपरांत करने तथा विद्यालयों में सफाई की कमी पाये जाने की स्थिति में संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पेंशन व ग्रेड पे निर्धारण

***457 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के सभी महाविद्यालय में कार्यरत अन्य प्रयोग प्रदर्शकों (सेवानिवृत्त) का विश्वविद्यालय के द्वारा पेंशन व ग्रेड पे निर्धारण एक समान नहीं करते हुए अलग-अलग रूप में दिया जा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रयोग प्रदर्शकों (सेवानिवृत्ति) का पेंशन व ग्रेड पे निर्धारण एक समान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

वेतन का भुगतान

***458** डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, सिमरिया-02 के पत्रांक-02, दि०-30.11.2006 द्वारा अप्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के पद पर श्रीमती अनिता कुमारी का विधिवत नियोजन किया गया है, जो दि-30.11.2006 के पूर्वाहन में अपना योगदान देकर आजतक कार्यरत हैं। वह वर्ष 2011 से ही प्रशिक्षित पंचायत शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इसी क्रम में उन्हें शैक्षणिक योग्यता को लेकर विभागीय प्रधान सचिव से लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेगूसराय ने काफी बेइज्जती कर उनका मनोबल तोड़ा है और बच्चों की शिक्षा बाधित की है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला अपीलीय प्राधिकार, बेगूसराय के पत्रांक-265, दि०-13.12.2023 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, बेगूसराय को श्रीमती अनिता कुमारी, पंचायत शिक्षिका, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, विन्दटोली, प्रखंड-बरौनी, जिला-बेगूसराय का फरवरी, 2023 से अद्यतन कार्यरत अवधि का भुगतान सभी अनुवर्ती लाभों के साथ इस आदेश प्राप्ति से 30 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिसका पालन आजतक नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत शिक्षिका का फरवरी, 2023 से अद्यतन कार्यरत अवधि तक का भुगतान सभी अनुवर्ती लाभों के साथ करते हुए दोषी पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित

***459** श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य परियोजना परिसर, बिहार, पटना एवं

एस.सी.ई.आर.टी., पटना द्वारा बिहार के राजकीय एवं राजकीयकृत उत्कृष्ट माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण प्रतिभा विकास हेतु जिला, प्रमंडल, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लोकनृत्य एवं विषय आधारित नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त छात्र-छात्रा समूह को कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल, ग्वालियर आदि शहरों में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलता है;

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में ऐसी कोई पृथक निधि/योजना उपलब्ध नहीं है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र-छात्राओं को एकरूप पोशाक/ट्रैकसूट उपलब्ध कराया जा सके, जिससे राष्ट्रीय मंच पर बिहार की पहचान सुदृढ़ हो;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पृथक निधि/योजना स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

विद्यालय भूमि को अतिक्रमण मुक्त

***460 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी शहर के जी.एम.एस.एस. उच्च विद्यालय की जमीन पर स्थानीय एवं दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर निजी एवं व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अतिक्रमण दूर करने हेतु किए जा रहे प्रयासों को जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थानीय प्रशासन की मदद लेकर विद्यालय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना

***461** प्रो. (डा.) राजवर्धन आजाद (मनोनीत):

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार विभिन्न भाषाओं के उद्गम की स्थली रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिरिक्त कमरा निर्माण

***462** श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर प्रखंड के मेघौल पंचायत वार्ड सं0- 1 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिदुलिया अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय लगभग 35 साल पुराना है, जिसमें लगभग 800 बच्चे अध्यनरत है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में कुल 04 कमरें है, जिसमें अध्ययन हेतु केवल 2 कमरों का इस्तेमाल होता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिदुलिया में अतिरिक्त कमरा निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शिक्षकों की वेतन

***463 श्री मो. सोहैब (विधान सभा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में सरकारी शिक्षको के लिए पी. एच. डी में नामांकन करने के बाद 6 महीना का कोर्स वर्क करने के बाद छोड़ने का प्रावधान था;

(ख) क्या यह सही है कि अब शिक्षको को 3 (तीन) वर्ष तक रोक कर रखा जाता है। ऐसी स्थिति में 3 वर्ष शिक्षको को बिना वेतन के रहना पड़ता है। इससे सैकड़ों सरकारी शिक्षक पीडित है;

(ग) क्या यह सही है कि यूजीसी का भी गाइडलाइन है कि 6 महीना का कोर्स वर्क कराने के बाद बिना वेतन शिक्षक को रोकना नहीं है। दूसरे राज्यों में भी शिक्षको की 6 महीनो के बाद छोड़ दिया जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं, जिनकी कमाई से पूरा घर का खर्च चलता है। ऐसी स्थिति में तीन साल तक वेतन बन्द होने पर आर्थिक कठीनाई उत्पन हो सकती है;

(ङ.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों की वेतन नहीं रोकने पर विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

***464 श्री जनक राम (मनोनीत):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत दुल्हिन बाज़ार प्रखण्ड में 2011-12 में

कार्यरत रविदास (चमार) जाति के कुल - 26 टोला सेवकों को BEO दुल्हन बाज़ार के द्वारा टोला सेवकों का प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न गांव के विद्यालयों में टोला सेवक के पद पर योगदान कराया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि किसी को 6 माह किसी को 1 वर्ष कार्य दिवस के बाद मौखिक रूप से दुल्हन बाज़ार BEO के द्वारा सभी 26 रविदास जाति के टोला सेवकों को यह कह कर हटा दिया गया कि आपकी जाति विदस जाति महादलित की श्रेणी में नहीं आती है;

(ग) क्या यह सही है कि ठीक इसी तरह पटना जिला के विक्रम प्रखण्ड के 45 रविदास जाति के टोला सेवकों को हटा दिया गया है और 1 वर्ष काम कराकर 6 माह का मानदेय का भुगतान कर हटा दिया जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि बिहार परियोजना परिषद् शिक्षा भवमैदपुर पटना के पत्रांक 389, दिनांक 13.03.2012 के आलोक में विक्रम प्रखण्ड के 45 वंचित टोला सेवकों को सूची में शामिल कर महादलित मानकर सभी बकाया मानदेय की राशि का भुगतान कर पुनः समायोजन किया जाय;

(ड.) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिला के दुल्हन बाज़ार एवं विक्रम प्रखण्ड के सभी टोला सेवकों को सभी कार्य दिवस का भुगतान करना चाहती है, साथ ही दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

रिक्त पदों पर नियुक्ति

***465 श्री महेश्वर सिंह(पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार) :
श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू(गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार) :**

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से सरकार वर्ष 2022 से ही कर्मियों की रिक्ति की सूचना मांग रही है, लेकिन विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं करा रहे हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की सूचना मंगवाकर रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, जिससे विश्वविद्यालयों का कामकाज सुचारू रूप से हो सके, यदि हां तो कबतक?

भवन का निर्माण

***466 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0-42 में प्राथमिक विद्यालय राजादेवरा में मात्र दो कमरो में लगभग दो सौ से अधिक विद्यार्थियों का पठन-पाठन कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय में कमरो की संख्या कम रहने के कारण दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा एवं अन्य वर्ग के समुदाय के बच्चों का पठन-पाठन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि विद्यालय का भवन निर्माण कराने हेतु मोहल्ला राजादेवरा में भूमि उपलब्ध है जहाँ विद्यालय का भवन बनाया जा सकता है, जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में काफी सहूलियत मिल सकेगी;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में उक्त विद्यालय का भवन निर्माण करवाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अध्यक्ष/निदेशक की नियुक्ति

***467 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा पटना में संचालित जगजीवन राम

संसदीय अध्ययन एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष/निदेशक का पद रिक्त होने के कारण शैक्षणिक गतिविधियां बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि पहले इस संस्थान के अध्यक्ष/निदेशक पद पर देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को बनाए जाने की परम्परा में शिथिलता आने के कारण संस्थान की शैक्षणिक गरिमा पूर्ववत् नहीं रह गई है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस संस्थान में अध्यक्ष/निदेशक के पद पर संस्थान की कार्यकलाप एवं गरिमा के अनुरूप प्रबुद्ध एवं अनुभवी शिक्षाविद् को नियुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था

- *468** प्रो. संजय कुमार सिंह(तिरहुत शिक्षक) :
श्री सर्वेश कुमार(स्नातक दरभंगा) :
डा. मदन मोहन झा(शिक्षक दरभंगा) :

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के अनेको सरकारी विद्यालयों में आज भी मूलभूत अधोसंरचना जैसे-चाहरदीवारी, शौचालय, कमरा में टाईल्स, बच्चों के लिए पेय जल का आभाव , पर्याप्त कक्षाओं की उपलब्धता तथा डिजिटल/इंटरनेट सुविधा का अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य की सरकार ने प्रत्येक पंचायत में +2 स्कूल की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) क्या यह सही है कि कई स्कूलों को अपग्रेड किया गया है जहां भूमि की उपलब्धता निर्धारित मापदंड से कम है वहां भवन एवं आधारभूत अवसंरचना की अत्यंत ही आवश्यकता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार शहर में स्थित प्राथमिक विद्यालय पीपरा संचाली(यू डायस कोड०-10100107203), दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय सहित अन्य सभी जिलों के विद्यालयों में निर्धारित मापदंड के अनुसार भवन एवं आधारभूत अवसंरचना की व्यवस्था यथाशीघ्र करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्वतंत्र रूप से लॉग-इन आईडी

***469 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों ने भी सदस्यता परीक्षा पास कर राज्यकर्मि का दर्जा प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि विभागीय संकल्प संख्या- 1729, दिनांक- 07.10.2024 के माध्यम से सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण की समेकित नीति बनाई गई और स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष ऐप के माध्यम से आवेदन भी प्राप्त किए गए लेकिन पुस्तकालयाध्यक्षों को न ई-शिक्षाकोष ऐप पर स्वतंत्र रूप से जोड़ा गया, न ही अन्यत्र स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षा कोष द्वारा मौका प्रदान किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों को ई-शिक्षाकोष ऐप पर स्वतंत्र रूप से लॉग-इन आईडी प्रदान करते हुए इनको स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

***470 श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):**

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि उच्च शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलना चाहती है;

(ख) क्या यह सही है कि सभी प्रखंडों में भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की बहुलता है जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त प्रखंड में अवस्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिशुनपुर के पास 616 डिसमिल भूमि उपलब्ध है जो डिग्री कॉलेज खोलने के लिए पर्याप्त है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मूल विद्यालय में पदस्थापित

***471 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक 2613, दिनांक 03.10.2025 द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐनवां, काको के दो (+2 शिक्षक, क्रम सं० 02 एवं 06) तथा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरसेरथु, काको के एक माध्यमिक शिक्षक (क्रम सं० 03) का प्रतिनियोजन राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय धरहरा, काको, जहानाबाद में किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि संबंधित शिक्षक अपने-अपने विद्यालय के उक्त संभाग/विषयों में एकमात्र शिक्षक ही हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति कर देने से विद्यालय में संबंधित विषयों का पठन पाठन बाधित है;

(ग) क्या यह सही है कि उन शिक्षकों के प्रतिनियोजन में विभागीय निर्देश की अनदेखी की गई है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित तीनों शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए उन्हें मूल विद्यालय में वापस करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को यथाशीघ्र निदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सातवें वेतन का लाभ

***472 प्रो. (डा.) वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों को तीन माह तक वित्तीय लाभ देकर रोक लगा दी गई है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी कर्मियों को सातवें वेतन के लाभ पर लगे रोक को हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्टेडियम का निर्माण

***473 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत आलमनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत ईटहरी में बिहार सरकार की 125 डिसमिल एवं 1.16 डिसमिल कुल 2.41 डिसमिल जमीन में खेल मैदान है जिसका थाना सं० 85, खाता 365, खेसरा सं० 882/883 है;

(ख) क्या यह सही है कि स्टेडियम का निर्माण होने से आस पास के क्षेत्र के तमाम युवा खिलाड़ी के साथ-साथ स्थानीय बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास होगा;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधेपुरा जिलान्तर्गत आलमनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत ईटहरी स्थित खेल मैदान को स्टेडियम बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

न्यूनतम अर्हता 33 प्रतिशत

***474 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा अंतर्गत TRE-1 एवं TRE-2 में न्यूनतम 30 से 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत सामान्य अंक प्राप्त करने के उपरांत भी "विशिष्ट शिक्षक" का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समानता की नीति के तहत सक्षमता परीक्षा में भी न्यूनतम अर्हता 33 प्रतिशत निर्धारित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्थायी संबद्धता

***475 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के ज्ञापांक-जीए/100/25 द्वारा एमपी कॉलेज, बेलसारा, देव औरंगाबाद का सत्र 2024-28 से स्थायी संबद्धन हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग बिहार की अनुशंसा पत्र भेजी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय के द्वारा उस कॉलेज का स्थायी संबद्धन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन, संबंधन समिति, अभिषद, एवं माननीय अभिषद के कार्यवृत्त की भी प्रति भेजी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि महाराणा प्रताप महाविद्यालय, बेलसारा देव को सत्र-2024-

28 से स्थायी संकाय देने के बजाय शैक्षणिक सत्र 2025-29 एच 2026-30 दो सत्रों के लिए अस्थायी संबद्धन दिया गया है, जो विश्वविद्यालय के अनुशंसा के प्रतिकूल है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के अनुशंसा के आलोक में एम.पी. कॉलेज एवं महाराणा प्रताप महाविद्यालय बेलसारा देव, औरंगाबाद का स्थायी संबद्धता देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

संग्रहालय भवन की मरम्मती

***476 श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, कला एवं संस्कृति विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के अंधरा ठाढी प्रखंड के अंधरा ठाढी बाजार में अवस्थित वाचस्पति संग्रहालय भवन की स्थिति पूरी तरह जर्जर अवस्था में है एवं यहां संरक्षित 72 प्रकार के पुरावशेषों पर संकट पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अब तक जर्जर भवन की मरम्मती एवं जीर्णोद्धार की कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संग्रहालय भवन की मरम्मती करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

खेल मैदान को सुदृढ एवं स्टेडियम निर्माण

***477 श्री राजीव कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर प्रखंड परिसर में 4000 स्क्वायर फीट का खेल मैदान अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त खेल मैदान में बरसात के बाद लगभग 4 महीनों तक बरसात का पानी जमा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मैदान में बरसात का पानी जमा रहने के कारण प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खोदावंदपुर प्रखंड परिसर में अवस्थित 4000 स्क्वायर फीट खेल मैदान को सुदृढ़ एवं स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना – 800015.

27 फ़रवरी, 2026.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव
बिहार विधान परिषद्